

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

क्रमांक 79
प्रति,

विधि/प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक 6 JAN 2022


क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/सिंगरौली/ग्वालियर/पीथमपुर/मंडीदीप
गुना/सागर/रीवा/सतना/देवास/शहडोल/छिन्दवाड़ा/जबलपुर/कटनी

विषय:- उद्योगों/संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सम्मति नवीनीकरण आवेदन बावत् ।
सन्दर्भ:- पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 31/12/2021

विषयांतर्गत कृपया सन्दर्भित अधिसूचना का अवलोकन हो, प्रति संलग्न है । प्रचलित व्यवस्था अनुसार लाल श्रेणी-5, नारंगी श्रेणी-10 एवं हरी श्रेणी-15 वर्ष का एकसाथ नवीनीकरण कराने की सुविधा है ।

लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों हेतु सम्मति शुल्क, परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार शुल्क एवं प्लास्टिक अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क का युक्तीयुक्तकरण किया गया है । कृपया उपरोक्त व्यवस्था अनुसार इन उद्योगों से कम से कम 5 वर्ष की अवधि के सम्मति नवीनीकरण आवेदन करायें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


(ए. ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव,

भोपाल, दिनांक 6 JAN 2022

क्रमांक 80
प्रतिलिपि:- विधि/प्रनिबो/2021

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2 श्री डी.के. जैन, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।